



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

बासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद संख्या-13/2009

रामधनी यादव एवं अन्य

बनाम्

प्रगन यादव एवं अन्य

—: आदेश :—

15/12/2009

वर्तमान वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी रामधनी यादव वो दुखन यादव वो बंधन यादव वो नरेश यादव वो, चनेश यादव वो विनोद यादव सभी के पिता— स्व० लखन महतो वो रमेश यादव पिता— मोगल यादव सभी ग्राम— मननचोटाग, पो०— रेलवे स्टेशन, लातेहार, थाना+जिला— लातेहार के द्वारा बासगीत पर्चा पुनरीक्षण के लिए दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अंचल अधिकारी, लातेहार के द्वारा बी०पी०एच०टी० वाद संख्या-03/2007-08 में दिनांक 07.10.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसे सुनवाई के पश्चात् अंगीकृत कर उत्तरवादीगण को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख की मांग की गई। उत्तरवादीगण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर एवं दस्तावेज समर्पित किये एवं निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त हुआ।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं दायर अभिलेखों तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम— मननचोटाग के खाता नं०-26 सर्वे खतियान में जगतू महतो वगैरह के नाम से दर्ज है तथा पारिवारिक बंटवारा में प्लॉट नं०- 371, 373 अलावे दिगर प्लॉट अपीलार्थी के हिस्से में

9/12

मिला है तथा बंटवारा के बाद से शांतिपूर्ण जोत-कोड़ वो दखल-कब्जा में चले आ रहे हैं। एक हिस्सेदार द्वारिका महतो बजरिये निबंधित केवाला सन् 1982 ई० में प्लॉट नं०- 371 रकबा-0.05 ए० तीलई महतो को बिक्री कर दिये थे। तीलई महतो एक हिस्सेदार सुकन महतो के दामाद थे, जो ग्राम- मतनाग, थाना- मनिका के निवासी थे। जिन्हें ग्राम- मतनाग थाना- मनिका में 10 एकड़ जमीन एवं ग्राम सेरनदाग थाना- बालूमाथ में 05 एकड़ तथा ग्राम- बारियातु जागीर में 0.24 एकड़ जमीन है, जो अपने पीछे दो लड़के परगन यादव एवं श्रवण यादव को छोड़ कर मृत हुए जो अपने आवासीय मकान जो प्लॉट नं० 371 में स्थित है। अपीलार्थीगण ने उत्तरवादीगण को अपने जमीन में मकान बनाने की स्वीकृति नहीं दिये है। उनका मकान उनके खरीदगी जमीन पर निर्मित है। आगे कथन है कि उत्तरवादीगण भूमिहीन नहीं है तथा उनका पुराना मकान मननचोटाग में स्थित है। इस वाद में निम्न न्यायालय द्वारा आम इस्तेहार निर्गत नहीं किया गया जिस कारण अपीलार्थीगण को आदेश की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी संख्या- 1 से 6 का सम्मिलात मकान प्लॉट नं० 371 रकबा-0.20 ए० पर स्थित है तथा अपीलार्थी संख्या- 07 को प्लॉट नं०- 373 से संबंध है जो बारी के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसका रकबा- 0.04 एकड़ है। उत्तरवादीगण दिनांक 15.07.2009 को प्रस्तावित जमीन पर बाधा उत्पन्न किये तब हल्का कर्मचारी से जानकारी मिला कि बासगीत पर्चा के आधार पर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा नियमानुसार बासगीत पर्चा, निर्गत नहीं किया गया है एवं इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया गया है कि उत्तरवादीगण का मकान एवं जमीन ग्राम मननचोटाग सेरनदाग एवं बारियातु जागीर में है, उनका आवासीय मकान प्लॉट नं०- 371 में स्थित है, जिसे तीलई महतो ने द्वारिका महतो से बजरिये निबंधित केवाला से प्राप्त किये हैं। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश रद्द करने योग्य है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है।

उत्तरवादीगण का कथन है कि यह वाद कालग्रसीत है एवं चलने

योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण को यह वाद दायर करने का कोई वैध अधिकार नहीं है। उत्तरवादीगण का कथन है कि खाता नं०- 26/30 प्लॉट संख्या- 371/593 एवं प्लॉट संख्या- 373/593 सर्वे खतियान में लक्ष्मण महतो, बुधु महतो, सेरा महतो एवं मोही महतो, पिता- मुशी महतो के नाम से दर्ज है एवं नया खतियान सामिलात रूप से खतियानी रैयत के वारिसान के नाम से प्रकाशित है। खतियानी रैयत लक्ष्मण महतो एवं बुधु महतो के वारिसान प्रस्तावित जमीन पर कोई दावा नहीं करते हैं तथा अपीलार्थी रमेश यादव पिता- मोगल यादव के भाई एवं मोही महतो के पुत्र द्वारिका महतो भी प्रस्तावित जमीन पर कोई दावा नहीं करते हैं। खतियानी रैयत के सभी वारिसान अपने सुविधा के अनुसार अलग-अलग खेती-बारी करते हैं, तथा अपीलार्थीगण अपने आवेदन पत्र के कंडिका- 4 में यह स्वीकार करते हैं कि तीलई महतो खतियानी रैयत बुधु महतो के पुत्र सुकन महतो के दामाद थे एवं शादी के पश्चात् ससुराल में रह रहे थे। सुकन महतो अपने हिस्से की जमीन में से प्रस्तावित जमीन को अपने दामाद तीलई महतो को सभी हिस्सेदारों के सहमति से मकान बनाने हेतु दिये थे। तीलई महतो मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। तीलई महतो के मृत्यु के पश्चात् उनके दो लड़के उत्तरवादीगण द्वारा बासगीत पर्चा निर्गत करने हेतु अंचल अधिकारी, लातेहार के न्यायालय में आवेदन किये जिसके आधार पर बी०पी०एच०टी० वाद संख्या- 03/2007-08 एवं अंचल अधिकारी द्वारा सामूहिक छानबीन के पश्चात् दिनांक 08.07.2008 को बी०पी०एच०टी० पर्चा निर्गत किया गया एवं उनके नाम से दाखिल-खारिज स्वीकृत होकर मांग चल रहा है तथा सरकार को माल गुजारी देकर रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उत्तरवादीगण इन्दिरा आवास योजना के तहत आवेदन दिये जिसके स्वीकृत होने के पश्चात् प्रस्तावित जमीन पर मकान का निर्माण किये हैं। उत्तरवादीगण भूमिहीन व्यक्ति हैं। अतः उनके नाम पर निर्गत बी०पी०एच०टी० पर्चा पूर्णतः सही वो न्यायसंगत है। जिसे न्याय के दृष्टि में संपुष्ट किया जाना उचित है। यह वाद दफा- 5 Limitation Act के तहत अंगिकृत किया जाना उचित नहीं है तथा नियमानुसार खारिज योग्य है।

प्रस्तावित जमीन के कब्जा दखल के संबंध में निदेशक, लेखा

94

प्रशासन एवं स्व नियोजन डी०आर०डी०ए०, लातेहार से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। डी०आर०डी०ए०, लातेहार के जांच प्रतिवेदन पत्रांक 1591 दिनांक 29.08.2016 के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि "खेसरा संख्या-371/593 रकबा- 0.05 एकड़ जमीन पर श्रवण यादव एवं प्रगण यादव पिता- स्व० तिलई यादव, ग्राम- मननचोटाग का मकान है, जहां दोनों भाई परिवार सहित अपने-अपने घर में रहते हैं। खेसर संख्या- 373/593 रकबा- 0.04 एकड़ पर भी वर्तमान में श्रवण यादव एवं परगन यादव का ही दखल-कब्जा है। इस भूमि पर बांस का पेड़, एक मड़ईनुमा बाथरूम एवं परगन यादव के घर से निकलने का रास्ता है। इस प्रकार उक्त दोनों भू-खण्डों पर श्रवण यादव एवं परगन यादव का ही दखल-कब्जा है"।

विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के पश्चात् एवं अभिलेख में उपस्थित साक्ष्य के अवलोकनोपरान्त स्पष्ट होता है कि उत्तरवादीगण का ग्राम- मतनाग थाना- मनिका में 10 एकड़ जमीन एवं ग्राम सेरनदाग थाना- बालूमाथ में 05 एकड़ तथा ग्राम- बारियातु जागीर में 0.24 एकड़ जमीन है। इस प्रकार ये भूमिहीन नहीं हैं। वासगीत पर्चा निर्गत करने के पूर्व रैयत जगतु महतो से सहमति प्राप्त नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।
आदेश को उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को दर्शित करा दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।



उपायुक्त,
लातेहार।



उपायुक्त,
लातेहार।